वैब साईट पर अपलोड करने बाबत्

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक EE/E/2017/416 दिनांक : 31.07.17

अल्पकालीन ई– निविदा सूचना संख्या/अधिशाषी अभिंयता पूर्व–02/2017–18

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की ओर से प्राधिकरण एवं राजकीय विभाग में उपयुक्त श्रेणी मे पंजीकृत संवेदकों कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, डाक एवं दूरसंचार, रेल्वे या अन्य राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार के अधिकृत संगठनो जो राजस्थान सरकार के उपयुक्त श्रेणी के संवेदाको के समकक्ष हो (निविदा पात्रता पंजीकरण के नियमो के अनुसार मान्य) से निर्धारित प्रपत्र मे ई प्राक्युरमेन्ट प्रकिया से सिविल कार्यो हेतु ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। जो निम्नलिखित दिनाक अनुसार डाउनलोड तथा खोली जायेगी। धरोहर राशि कार्य की अनुमानित लागत पर प्राधिकरण में पंजीकृत सक्षम संवेदक द्वारा 1/2 प्रतिशत राशि एव अन्य विभाग मे पंजीकृत सक्षम संवेदक द्वारा 2 प्रतिशत राशि का बैंक ड्रॉफ्ट/बैंकर चैक सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम से ऑन लाईन निविदा खोलने से पूर्व निम्न विवरण अनुसार प्राधिकरण मे जमा करनी आवश्यक है।

महत्वपूर्ण दिनांकों का विवरण

	विवरण	आईटम संख्या	दिनांक व समय
1	ऑनलाईन निविदा फॉर्म की उपलब्धता डाउनलोड आरम्भ होने की दिनाक व समय	1–5	दिनांक 4.08.2017 व समय 11.30 P.M.
2	ऑनलाईन निविदा फॉर्म डाउनलोड समाप्त होने की दिनांक व समय	1–5	दिनांक 11.08.2017 व समय 6.00 P.M.
3.	ऑनलाईन निविदा फॉर्म जमा कराने की प्रारम्भ होने की दिनांक व समय	1–5	दिनांक 4.08.2017 व समय 11.30 A.M.
4	ऑनलाईन निविदा फॉर्म जमा कराने की अन्तिम दिनांक व समय	1–5	दिनांक 11.08.2017 व समय 6.00 P.M.
5	निविदा शुल्क, धरोहर राशि की मूल प्रति जोन कार्यालय में जमा कराने की अन्तिम दिनांक व समय	1–5	दिनांक 12.08.2017 व समय 1.30 P.M.
6	ऑनलाईन निविदा की तकनीकी बिड एंव वितिय बिड खोलने की दिनांक व समय	1–5	दिनांक 12.08.2017 व समय 3.30 P.M.

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (लाखों में)	धरोहर राशि	निविदा शुल्क	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	Construction of Parking Area From JDA Circle to Bhaskar Circle, Jodhpur	135.00	2,70,000/-	1000/-	9 माह
2	Annual Work Rate Contract of Strenghting & Widening of Roads Under Juricdition Zone	96.00	1,92000/-	1000/-	1वर्ष
3	जोन पूर्व मे वार्षिक अनुबंध पर मुटाम निर्माण कार्य।	10.0	20,000/-	500/-	1 वर्ष
4	जोन पूर्व मे शहर की मुख्य सडको पर वृक्षारोपण मय तीन वर्ष का संधारण का कार्य। (भाग अ)	95.50	1,91,000/-	1000/-	3 वर्ष तक का संधारण
5	जोन पूर्व मे विभिन्न सडको पर पेच रिपेयर का कार्य। (वार्षिक अनुबंध)	46.10	92,200/-	500/-	1 वर्ष

निविदा की महत्वपुर्ण शर्ते निम्नानुसार है:–

1. निविदा प्रपत्रों को वेबसाइट http://www.eproc.rajsathan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदाओ मे भाग लेने वाले संवेदको को निविदा को इलेक्ट्रोनिक फॉरमेट में वेबसाइट http://www.eproc.rajsathan.gov.in पर जमा करानी होगी ।
2. निविदा की प्रक्रिया ऑन लाईन होगी।
3. निविदा हेतु पात्र संवेदको की श्रेणी :–

किसी भी सीमा तक	एए श्रेणी, संवेदक
रूपये 300.00 लाख तक	ए श्रेणी, संवेदक
रूपये 150.00 लाख तक	बी श्रेणी, संवेदक
रूपये 50.00 लाख तक	सी श्रेणी, संवेदक

4. निविदा खोलने की तिथी को किसी कारणवंश यदि सम्पूर्ण निविदायें नही खोली जा सकती हैं, तो उसके अगले कार्य दिवस को शेष निविदायें खोलने का कार्य जारी रखा जावेगा ।
5. निविदा प्रक्रिया :–

कार्य	पोटेशियम असेसमेंट	पोस्ट क्वालीफिकेशन
सडक	150 लाख से 500 लाख तक	500 लाख से 2000 लाख तक
अन्य निर्माण कार्य	100 लाख से 200 लाख तक	200 लाख से 1000 लाख तक

6. कार्य करने हेतु कार्य स्थल उपलब्ध है।

7. निविदादाता द्वारा निम्नलिखित राशि प्राधिकरण के जोन कार्यालय में निम्न विवरण अनुसार निविदा खोले जाने के समय से पूर्व जरिये डिमांड, ड्राफ्ट / बैंकर चैक से ऑनलाईन निविदा फार्म जमा कराने की अन्तिम तिथि तथा समय तक जमा करवाना आवश्यक है।

क्र. सं	शुल्क वितरण	शुल्क	भुगतान का प्रकार	देय
1	निविदा शुल्क	उपरोक्तानुसार	डिमाण्ड ड्रॉफ्ट / बैंकर चैक	सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
2	धरोहर राशि	अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत	डिमाण्ड ड्रॉफ्ट / बैंकर चैक	सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
3	ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया शुल्क	50 लाख तक 500 / – 50 लाख से ऊपर 1000 / –	डिमाण्ड ड्रॉफ्ट / बैंकर चैक	MD RISL, JAIPUR

8. प्रदत्त दरें निविदा खोलने की दिनांक से 70 दिवसों तक निविदा स्वीकृति हेतु मान्य (Valid) रहेगी। यदि निविदाकर्ता उस अवधि मे अपनी निविदा अथवा शर्तों में किसी प्रकार का संषोधन करता है अथवा अपनी निविदा वापस ले लेता है, तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी ।

9. यदि संवेदक के नजदीकी रिष्तेदार (प्रथम रक्त सम्बन्धी व उनके पति / पत्नी) कार्य से संम्बंधित जोन अथवा अधीनस्थ कार्यालय में खण्डीय लेखांकार अथवा सहायक अभियंता से लेकर अधीक्षण अभियता स्तर का किसी भी स्तर पर पदस्थापित हों, तो उसके कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिबन्ध रहेगा।

10. राज्य सरकार मे किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इंजीनियर या प्रषासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य की अनुमति के बिना सेवा निवृति के 2 वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारी के रूप में कार्य नही कर सकेंगे। यदि संवेदक अथवा उसके कर्मचारियों में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति निविदा जमा कराने से पहले अथवा संवेदक के यहाँ से सेवाये लेने से पहले अनुमति नही ली है, तो अनुबन्ध रद्द किया जा सकेगा ।

11. कम संख्या 1 से 2 कार्य की दोष निवारण एवं उनके सुधार (Defect Liabilities Period) की अवधि 03 वर्ष तथा कम संख्या 3 व 5 की 1वर्ष तक रहेगी। निविदादाता को निविदा भरते समय साथ मे निविदा शुल्क, धरोहर राशि, ई–टेण्डरिंग शुल्क Enllistment व Tax Clearance Certificate की प्रति को स्केन कर लगाना अनिवार्य है।

12. प्राधिकरण के कार्यालय आदेश क्रमांक 202 दिनांक 14.05.12 के अनुसार उक्त निविदाओ मे न्यूनतम दर से अंतर राशि के समकक्ष परफोरमेन्स सिक्यूरिटी राशि जमा कराने के पश्चात् ही स्वीकृत निविदा का कार्यादेश दिया जायेगा।

13. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार निम्नहस्ताक्षरकर्ता को रहेगा। RPWA 100 की समस्त शर्ते उस सीमा तक मान्य / लागु होगी जिस सीमा तक के राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के विरोध मे नही हो।

14. वित्त विभाग के आदेष संख्या एफ 1(1)एफ.डी. / जी.एफ. एण्ड ए.आर. / 2007 दिनांक 30.09.2011 (सर्कुलर नं. 19 / 2011) के अनुसार 50.00 लाख रूप्ये तक की राषि के कार्यो के लिए 500 / – व 50.00 लाख रूप्ये से अधिक राषि के कार्यो के लिए 1000 / – रू. की राषि निविदा शुल्क के अतिरिक्त देनी होगी जो डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप मे देय होगी। यह डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर चैक मैनेजिंग डायरेक्ट, आर.आई.एस.एल. के पक्ष में व जयपुर मे भुगतान योग्य होना चाहिये।

15. नेगोशिएशन की आवश्यकता होने पर ई–मेल व पत्र द्वारा डाक से सूचित किया जायेगा।

16. निविदा शुल्क निम्नानुसार निर्धारित है :–

50 लाख से कम अनुमानित लागत	रूपये 500
50 लाख से 150 लाख तक अनुमानित लागत	रूपये 1000
150 लाख से 400 लाख तक अनुमानित लागत	रूपये 2000
400 लाख से अधिक अनुमानित लागत	रूपये 5000

17. संवेदक द्वारा उक्त कार्यो के लिए निर्धारित मशीनरी जो निविदा की स्पेशल कण्डिशन में वर्णित है, को स्वय के पास होने या किराये पर लेने का प्रमाण–पत्र देना होगा।

18. संवेदक को ऑन लाईन निविदा के साथ संबंधित विभागीय अधिकारियो से जारी विक्रय कर क्लीयरेन्स प्रमाण पत्र लगाया जाना आवश्यक होगा अन्यथा निविदा पर विचार नही किया जायेगा। GST in Registrtion की कॉपी निविदा के साथ अपलॉड करनी अनिवार्य होगी। GST की कटौती नियमानुसार की जायेगी

19. ई–टेंडरिंग के लिए निविदादाता हेतु निर्देश :–

- इन निविदाओ मे दिलचस्पी लेने वाले निविदादाता निविदा प्रपत्रो का इन्टरनेट साईट http://www.eproc.rajsathan.gov.in देख / डाउनलोड कर सकते है।
- निविदाओ मे भाग लेने वाले निविदादाताओ को इन्टरनेट साईट http://www.eproc.rajsathan.gov.in पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑन लाईन निविदा मे भाग लेने के लिए डिजिटल सार्टिफिकेट है। इनफोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा, जो इलेक्ट्रोनिक निविदा मे साईन करने हेतु काम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी सी ए द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते है। जिन निविदादाताओ के पास पूर्व मे वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है तो नया डिजिटल लेने की आवश्यकता नही है।
- निविदादाताओ को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फार्मेट मे उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिसका प्रस्ताव अकेले भौतिक फॉर्म मे स्वीकार्य नही होगा।
- इलेक्ट्रोनिक निविदा प्रपत्रो को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवे की निविदा प्रपत्रो से संबंधित सभी आवश्क दस्तावेजो की स्केन कॉपी निविदा प्रपत्रो के साथ अटेच कर दी गयी है।
- कोई भी टेण्डर इलेक्ट्रोनिकली जमा कराने मे किसी कारण से लेट हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नही होगा।
- टेण्डर के प्रपत्रो मे आवश्यक सभी सूचियों को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑन लाईन दर्ज करे।

20. निविदाये राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अन्तर्गत आमत्रित की जाती है। उपर अंकित समस्त प्रावधान / बंधन उस सीमा तक ही लागु होंगे जिस सीमा तक वे उस बिन्दु मे उल्लेखित अधिनियम एवं नियमो कि विकल्प नही हों।

21. संवेदक द्वारा प्रस्तुत दी गयी दरे एक वर्ष तक मान्य रहेगी।

22. दर स्वीकृति उपरान्त संवेदक को वर्ष पर्यन्त अलग–अलग कार्य स्थल की उपलब्धतता के अनुसार कार्यादेश जारी किया जायेगा।

22. निविदा के साथ अनुग्नक परिशिष्ट A से D बिन्दु के भाग है, जिसकी पूर्ति अनिवार्य है।

अधिशाषी अभियंता (जोन पूर्व)
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर